तुरंत जारी किए जाने के लिए

वैश्विक : नीतिगत खामियों के कारण प्रवासियों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है

2010, श्रमिक उत्पीड़न, हिंसा और न्याय तक सीमित पहुंच के वर्ष के रूप में चिह्नित

(जकार्ता, 12 दिसंबर, 2010) – 18 दिसंबर, 2010 को आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के पूर्व ही आज जारी एक रिपोर्ट में ह्यूमेन राइट्स वाच ने कहा है कि, कई सरकारों की आप्रवासन नीतियों एवं संरक्षण संबंधी कमियों के कारण प्रवासियों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। ह्यूमेन राइट्स वाच ने बताया कि इन उत्पीड़नों में श्रमिक उत्पीड़न, हिंसा, तस्करी, हिरासत में दुर्व्यवहार एवं हत्या शामिल हैं, फिर भी संबंधित राष्ट्र न्याय पाने के लिए सीमित उपाय ही करते हैं।

ह्यूमेन राइट्स वाच की 2010 में प्रवासियों के अधिकारों के उल्लंघन संबंधी 48 पृष्ठों वाली रिपोर्ट, ''राइट्स ऑन द लाइन– ह्यूमेन राइट्स वाच वर्क ऑन एब्यूजेज अगेन्स्ट माइग्रेन्ट्स इन 2010'' में अफ्रीका, एशिया, यूरोप, मध्य–पूर्वी देशों और संयुक्त राष्ट्र संबंधी जानकारियों को शामिल किया गया है।

ह्यूमेन राइट्स वाच की वरिष्ठ महिला अधिकार अनुसंधानकर्ता निशा वारिया ने कहा है कि, ''प्रवासी, हमेशा से कुछ ऐसे लोगों में शामिल हैं, जिन्हें उत्पीड़न का सबसे अधिक जोखिम रहता है, किंतु उन्हें ही सेवाएं अथवा न्याय पाने की संभावना सबसे कम रहती है।,'' उन्होंने आगे कहा कि, ''कई सरकारें भेंदभाव बढ़ाने वाली नीतियां बनाकर स्थिति को और भी बदतर बना देती हैं और प्रवासियों द्वारा सहायता के लिए प्राधिकारियों के पास पहुंचना तक कठिन हो जाता है।''

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 215 मिलियन से अधिक लोग अपनी जन्मभूमि से बाहर दूसरे देशों में रहते हैं। अंतराष्ट्रीय प्रवास के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की उन्नति में सहायता मिलती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि प्रवासियों ने वर्ष 2010 में अपने घरों को 440 बिलियन अमेरिकी डालर से अधिक की धनराशि भेजी, जिसमें से 325 बिलियन डालर विकासशील देशों को भेजे गए।

कई देश कम वेतन वाले, खतरनाक और असंगठित कार्यों में मजदूरों की कमी को पूरा करने के लिए प्रवासी मजदूरों पर आश्रित होते हैं। ह्यूमेन राइट्स वाच ने इन्डोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान, कुवैत, लेबनान, सऊदी अरब, थाइलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य में कृषि, घरेलू काम–काज, और निर्माण कार्यों में लगे प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न और उनकी समस्याओं के समाधान में आने वाली बाधाओ का उल्लेख किया है। कई देशों में विद्यमान आप्रवासी प्रायोजन प्रणाली, नियोक्ताओं को प्रवासी मजदूरों पर काफी अधिक नियंत्रण के अधिकार प्रदान करती है, जिसके कारण प्रवासी, उत्पीड़क परिस्थितियों में फंस जाते हैं या न्याय प्रणाली के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं।

वारिया ने कहा है कि, ''सरकारों ने नियुक्ति शर्तों को सुदृढ़ कर तथा श्रम कानून के उपबंधों को शामिल कर प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न की संबंधी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया है।'' उन्होंने आगे बताया कि तथापि ये सुधार बहुत धीमी गति से तथा क्रमशः किए जा रहे हैं, और जहां तक प्रवासियों को इन बदलावों के बारे में तथा इनसे होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दिया जाना सुनिश्चित करने का प्रश्न है, वहां सरकारें खासकर पीछे रह गई हैं।''

ह्यूमेन राइट्स वाच को यह भी पता चला है कि पुरुष, महिलाएं और बच्चे, सीमाएं पार करने के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देते हैं, और उन्हें सीमा पर जांच चौकियों के बीच नो–मैन्स लैंड, बीच समुद्र में अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन क्षेत्रों में रहते हुए उत्पीड़न का शिकार होना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, मिस्र के सीमा रक्षकों ने वर्ष 2010 में इजरायल में घुसने के लिए सिनाई सीमा पार करने का प्रयास करते हुए कम से कम 28 प्रवासियों को गोली मार दी थी। ह्यूमेन राइट्स वाच द्वारा इटली, लीबिया, हंगरी, स्लोवाकिया, यूक्रेन, ग्रीस, स्पेन और यूरोपीय संघ पर किए गए अनुसंधान में बताया गया है कि अंतराष्ट्रीय मानकों की अवहेलना करने वाली सीमा नियंत्रक नीतियों के कारण, संवेदनशील आबादी, जैसे कि अकेले बच्चों, शरण चाहने वालों, तस्करी के शिकार लोगों की ठीक से पड़ताल/पहचान नहीं हो पाती है और समुचित सेवाएं नहीं मिल पाती है अथवा प्रवासियों को हिरासत में खराब हालात में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं।

हिरासत में रखे गए प्रवासियों के साथ कभी–कभार अनायास ही भेदभाव किए गए जाने के कारण उन्हें बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है अथवा गैर–प्रवासी कैदियों की अपेक्षा कम स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। उदाहरण के तौर पर, ह्यूमेन राइट्स वाच ने पता लगाया है कि मलावी, में कुछ इथियोपियाई कैदियों को भीड़भरी कोठरी में दिन में 16 घंटे खड़ा रखा जाता था। जाम्बिया में ह्यूमेन राइट्स वाच द्वारा साक्षात्कार किए गए हिरासत में रखे गए कैदियों को कभी भी किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया गया था और इस बात के जानते हुए भी कि जांबिया के कारागारों में टीबी की दर आम आबादी से दस गुना अधिक है, अन्य कैदियों की अपेक्षा उनकी टीबी और एचआईवी की जांच कम बार की गई।

वारिया ने कहा है कि, ''पुरुष, महिलाएं और बच्चे चाहे उचित माध्यम से सीमा पार कर रहे हैं अथवा नहीं, इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी जान न गंवानी पड़े।'' उन्होंने आगे कहा है कि, ''सरकार को इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए कि उनकी सीमा नियंत्रण और पहचान नीतियों के कारण लोगों को उत्पीड़न या मौत का सामना करना पड़ता है और वे, उन अकेले बच्चों, तस्करी के शिकार लोगों और शरणार्थियों सहित उन सभी लोगों को अयोग्य करार देती हैं, जिन्हें हो सकता है सहायता की सबसे अधिक जरूरत हों।''

संयुक्त राज्य में लाखों लोग नागरिक आप्रवास नियमों के उल्लंघन के कारण महीनों या वर्षों से हिरासत में बंद हैं। सरकारी वकील मुहैया नहीं कराए जाने के अधिकार के कारण लगभग 60 प्रतिशत प्रवासी कैदियों को बिना किसी वकील के अदालती सुनवाई प्रक्रिया से गुजरना होता है। ह्यूमेन राइट्स वाच ने पता लगाया है कि मानसिक रूप से बीमार आप्रवासियों का कोई वकील नहीं होने का अर्थ है कि प्रायः वे अपने अधिकारों का बचाव नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अन्यायपूर्ण तरीके से वर्षों से कैद कर रखा गया है।

प्रवासियों को उन व्यापक आप्रवासी नीतियों का शिकार होने की संभावना अधिक होती है जो व्यक्तियों को खतरे में डाल देती हैं। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने यह घोषणा की है कि वह जिम्बाब्वे निवासियों के निष्कासन अब और नहीं टालेंगे, जिससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि भारी मात्रा में निष्कासन किए जाने से शरण लेने के इच्छुक लोगों के अधिकारों का हनन होगा। और फ्रांस ने बड़े पैमाने पर यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि वह अनधिकृत रोमा बस्तियों को उजाड़ने जा रहा है ओर प्रवासी रोमा निवासियों– जिनमें अधिकांश यूरोपीय संघ के नागरिक हैं, को उनके मूल देशों में भेज देगा।

प्रवासियों के विरुद्ध वंशवाद और घृणा के कारण की जाने वाली हिंसा ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान करने में सरकारे न केवल धीमी हैं बल्कि कुछ मामले भेदभावपूर्ण नीतियों के कारण अधिक बिगड़ जाते हैं।

उदाहरण के लिए, ह्यूमेन राइट्स वाच को पता चला है कि इटली में प्रवासियों संबंधी राजनैतिक बयान और नीतियां, जो प्रवासियों को अपराधों से जोड़ती हैं, के कारण असहिष्णुता का वातावरण बन जाता है।

अपर्याप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के कारण ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिससे मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता है। 2010 में ह्यूमेन राइट्स वाच ने सेनेगल में जबरदस्ती भीख मंगवाने के लिएं, कोट डी आइवरी में जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करवाने तथा कुवैत और सउदी अरब में जबरदस्ती घरेलू काम करवाने के लिए कमउम्र लड़को की तस्करी किए जाने के बारे में पड़ताल की है।

वारिया ने कहा है कि, ''वर्ष 2010 में प्रवासियों के उत्पीड़नों की सूची लंबी और भयावह है। सरकार को सुधारों की गति को तेज करना चाहिए जिससे उत्पीड़न और अन्याय से भरा कोई दूसरा साल न देखना पड़े।''

ह्यूमेन राइट्स वाच ने सरकारों से आह्वान किया है कि वर्ष 2011 के दौरान वे प्रवासियों के संरक्षण संबंधी उपायों में सुधार पर ध्यान दें साथ ही सभी प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि करें। ह्यूमेन राइट्स वाच ने सरकारों से यह भी अनुरोध किया है कि वे :

- यह सुनिश्चित करें कि आप्रवासी एवं श्रमिक नीतियां ऐसी बनाई जाएं कि प्रवास के अभिलेख रखे जाएं तथा जिनके पास यथोचित दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें अनुचित रूप से दंड न दिया जाए।

- श्रम कनूनों में सुधार कर, घरेलू काम और कृषि सहित प्रवासियों द्वारा की जाने वाली अधिकतर असंगठित नौकरियों में उनके व्यापक श्रमिक संरक्षण हेतु विस्तार किया जाए।

- यथावश्यक अनुवाद सेवाओं सहित प्रभावी निगरानी एवं शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करें, किसी व्यक्ति के प्रवासी हैसियत का ध्यान रखे बिना, उत्पीड़न की शिकायतों की गहन जांच करें तथा श्रमिक विवादों एवं आपराधिक कार्यवाहियों का समयबद्ध तरीके से समाधान करें;

- चिकित्सा देखभाल सुविधा की सुलभता सहित हिरासत की स्थितियों को शासित करने के लिए वैध प्रवर्तनीय मानक स्थापित करें और उत्पीड़न रोकने तथा उनका मुकाबला करने संबंधी भूल–चूक को दूर करें;

- निष्कासन नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि जिन लोगों को जबरदस्ती बाहर निकाला जा रहा हो उन्हें, जातीय अथवा राष्ट्रीयता आधारित भेदभाव के बिना, व्यक्तिगत समीक्षा के आधार पर अपील का अधिकार मिले;

- व्यापक राष्ट्रीय रणनीतियां विकसित करें और सेवाओं की सुलभता तथा बचे हुए लोगों के पुनर्वास सहित तस्करी से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करें।

2010 में प्रवासियों के बारे में ह्यूमेन राइट्स वाच रिपोर्ट में कुछ खास देशों से संबंधित दृष्टांत

- **मिस्र और इजराइल** – इजराल में घुसने के लिए सिनाई सीमा पार करने का प्रयास कर रहे कम से कम 28 प्रवासियों को मिस्र के सीमा रक्षकों ने गोली मार दी। इजराइल द्वारा मिस्र को जबरदस्ती

लौटाए गए प्रवासियों एवं शरणार्थियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा सकता है और सैनिक अदालत में अनुचित तरीके से मुकदमा चलाया जा सकता है।

- **फ्रांस** – फ्रांस ने बड़े पैमाने पर यह प्रचार करना शुरू कर दिया है कि वह अनधिकृत रोमा बस्तियों को उजाड़ने जा रहा है ओर प्रवासी रोमा निवासियों– जिनमें अधिकांश यूरोपीय संघ के नागरिक हैं, को, उनके मूल देशों में भेज देगा।

- **यूनान और यूरोपीय संघ** – यूरोपीय संघ के दूसरे देशों ने प्रवासियों और शरण चाहने वालों को यूरोपियन संघ में उनके प्रवेश द्वार, यूनान को लौटाए जाने के 10,000 आवेदन किए हैं। किंतु यूनान में प्रवासियों एवं शरण चाहने वालों को बुरे हालात में हिरासत में रखा गया है, जहां अकेले बच्चों और अन्य संवेदनशील समूहों को बहुत कम या कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं है।

- **हंगरी, स्लोवाकिया और यूक्रेन** – हंगरी और स्लोवाकिया से शरण चाहने वालों के साथ–साथ प्रवासियों को, यूरोपीय संघ के एक अन्य प्रवेश द्वार, यूक्रेन को लौटाया जाता है और अकेले बच्चों को यूक्रेनी सीमा सुरक्षा सेवा की हिरासत में प्रायः गंभीर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

- **इन्डोनेशिया और मलेशिया** – न्यूनतम मजदूरी और भर्ती शुल्क के विनियमन पर बातचीत में गतिरोध के कारण दोनों सरकारों के बीच मलेशिया में इन्डोनेशियाई घरेलू नौकरों की सुरक्षा में सुधार संबंधी सहमति नहीं बन पाई है।

- **इटली और लीबिया** – इटली द्वारा दान दी गईं और इतालवी कर्मियों से लदी नौका से आने वाले अधिकांशतः उपसहारा अफ्रीकी मूल के प्रवासियों को नौका सवार लीबियाई तट गश्ती दल द्वारा रोक लिया जाता है। प्रवासियों को सुरक्षा संबंधी किसी यथोचित पड़ताल किए बिना लीबिया को सरसरी तौर पर लौटा दिया जाता है और लीबिया में जाने के बाद उन्हें अमानवीय और अपमानजनक परिस्थितियों में हिरासत में रहना पड़ता है।

- **कजाकिस्तान** – किर्गिस्तान के कई प्रवासी मजदूरों को प्रायः अपने बच्चों सहित, कजाकिस्तान के तंबाकू किसानों के उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें मौसमी काम पर रखते हैं। ये तंबाकू किसान, विश्व की सबसे बड़ी तंबाकू कंपनियों में से एक फिलिप मोरिस इंटरनेशनल (पीएमआई) की सहायक कंपनी फिलिप मोरिस कजाकिस्तान (पीएमके) से करार करते हैं और उन्हें तंबाकू की आपूर्ति करते हैं। पीएमआई तथा पीएमके, दोनों ने ही ऐसे उत्पीड़नों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सुधार करने का वादा किया है।

- **कुवैत** – इस देश में एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के 660,000 प्रवासी घरेलू मजदूर काम करते हैं। आप्रवासी प्रायोजन प्रणाली और कुवैत के श्रम कानूनों के तहत संरक्षण नहीं दिए जाने से, ये मजदूर उत्पीड़नकारी नौकरियों को नहीं छोड़ पाते हैं और जो बिना अनुमति काम छोड़ देते हैं, उन्हें आपराधिक दंड का खतरा होता है।

- **लेबनान** – प्रवासी घरेलू मजदूरों पर असर डालने वाले 114 लेबनानी न्यायिक फैसलों की समीक्षा करने से पता चला कि शिकायत निवारण प्रणाली की सुलभता के अभाव, लंबी न्यायिक प्रक्रिया

और निरोधक वीसा नीतियों के कारण अधिकांश मजदूर, उत्पीड़नकारी परिस्थितियों की शिकायत नहीं दर्ज कर पाते हैं और करते भी हैं तो उन्हें, उनका समाधान नही मिल पाता ।

- **मलावी** – मलावी में लगभग 230 इथोपियाई बंदियों को मुकदमा चलाने के लिए जेलों में बंद रखा गया है, जहां उनके पास दुभाषिए उपलब्ध नहीं है। वे अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओ के बारे में भी नहीं बता पाते क्योंकि वे, वहां के अधिकारियों की भाषा में बात नहीं कर पाते हैं, इनमें से कुछ बंदी, दूसरे बंदियों की अपेक्षा बदतर हालात में रखे गए हैं।

- **सउदी अरब** – अधिकांश प्रवासी घरेलू मजदूर अपने देश आने के बाद ही गंभीर शारीरिक उत्पीड़न की शिकायत कर पाते हैं, क्योंकि सउदी अरब में शिकायत प्रणाली उनके पहुंच से बाहर रही है।

- **सेनेगल और गीनिया–बिसाउ** – कम से कम 50,000 छोटे बच्चे ऐसी परिस्थितियों में रहते हैं जो गुलामी का आधुनिक रूप है। माता–पिता द्वारा सेनेगल के आवासीय कुरानी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजे गए बच्चों में से अधिकांश को स्कूल चलाने वाले व्यक्तियों द्वारा दस–दस घंटे तक भीख मांगने को मजबूर किया जाता है।

- **दक्षिण अफ्रीका** – 2005 से अपने देश में राजनैतिक उत्पीड़न और आर्थिक मंदी के शिकार 3 मिलियन जिम्बाब्वेवासियों ने दक्षिण अफ्रीका में शरण लेने तथा आर्थिक अवसरों को तलाशने की इच्छा व्यक्त की है, जिसने उन्हें अस्थायी विशेष संरक्षण प्रदान किया। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका ने यह घोषणा की है कि वह जिम्बाब्वे निवासियों के निष्कासन अब और नहीं टालेंगे, जिससे इस बात की चिंता बढ़ गई है कि भारी मात्रा में निष्कासन किए जाने से से शरण लेने के इच्छुक लोगों के अधिकारों का हनन होगा।

- **स्पेन** – केनेरी द्वीप की सरकार का अकेले आए 200 प्रवासी बच्चों को आपातकालीन शरणस्थलियों जिनमें आम देखभाल सबंधी कोई नियम नहीं हैं, में रखे जाने का निर्णय, बच्चों को जोखिम में डालने वाला है तथा उनकी सुरक्षा के लिए खतरा है।

- **थाइलैंड** – प्रवासी मजूदरों ने हिरासत में यातना दिए जाने, फिरौती मांगे जाने, यौन उत्पीड़न, तस्करी, जबरदस्ती मजदूरी कराने, संगठन बनाने पर रोक, शिकायत कराने वालों से हिंसक व्यवहार तथा मौत तक की बात कही है। स्थानीय पुलिस और अधिकारी प्रायः प्रवासियों की शिकायतों को अनदेखा कर देते हैं या प्रभावी तरीके से उसकी जांच नही करते।

- **संयुक्त अरब अमीरात** – न्यूयार्क विश्वविद्यालय (एनवाईयू), गगनहीम फाउन्डेशन और सरकारी स्वामित्व वाले सहभागियों ने एनवाईयू परिसर के भवन और अबू धाबी के सादियात द्वीप की गगनहीम शाखा में नियुक्त मजदूरों के लिए नए करार संबंधी सुरक्षा उपायों की घोषणा की है। तथापि नवीन उपायों में प्रवर्तन संबंधी स्पष्ट प्रावधानों या तीसरे पक्ष द्वारा निष्पक्ष निगरानी व्यवस्था का अभाव है।

- **संयुक्त राज्य** – यूएस का श्रम कानून, कृषि क्षेत्र में कार्य करने वाले बच्चों को यूएस में कार्यरत अन्य सभी बच्चों के समान संरक्षण नहीं प्रदान करता है, जिससे वे ऐसे काम करते रहते हैं, जिनसे उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और शिक्षा का खतरा बना रहता है।

- **जाम्बिया –** आप्रवासी बंदियों को लंबे समय तक जाम्बिया में रखा जाता है, कभी–कभार उन्हें ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है, जहां जान का जोखिम बना रहता है। ह्यूमेन राइट्स वाच और सहभागी संगठनों द्वारा साक्षात्कार किए गए केवल 38 प्रतिशत बंदी ऐसे थे, जिन्हें कभी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

''राइट्स ऑन द लाइनः ह्यूमेन राइट्स वाच वर्क ऑन एब्यूजेज अगेन्स्ट माइग्रेन्ट्स इन 2010'' पढ़ने के लिए कृपया पर लॉग करें :

अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें :

जकार्ता में, निशा वारिया (अंग्रेजी, स्पैनिश): +62-821-14-728118 (मोबाइल); +1-917-617-1041 (यूएस मोबाइल); अथवा varian@hrw.org
न्यूयार्क में, जेन बुचानन (रूसी, अंग्रेजी): +1-917-553-4315 (मोबाइल); +1-646-644-4847 (मोबाइल); अथवा buchanj@hrw.org
मिलान में, जूडिथ संडरलैंड (अंग्रेजी, इतालवी, फ्रेंच, स्पैनिश): +39-338-6990933 (मोबाइल) अथवा sunderj@hrw.org
जार्डन में, क्रिस्टोफ विल्की (अंग्रेजी, जर्मन और अरबी): +962-796-040849 (मोबाइल) अथवा wilckec@hrw.org
कीव में, बिल फ्रेलिक (अंग्रेजी): +240-593-1747(मोबाइल); अथवा frelicb@hrw.org
जेनेवा में, साइमोन ट्रोलर (अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी): +41-22-738-17-92; +41-79-457-16-95; अथवा simone.troller@hrw.org